ii. After a lapse of two three minutes, of the dictation of trial passage, the final passage shall be dictated by the same person keeping in view the uniformity of speed which can be achieved by marking the passage after every 80-100 words as the case may be.
iii. After the final passage is dictated, five minutes time shall be allowed to the candidates for reading the dictated passage.
iv. The candidates shall be required to transcribe the passage on Computer.

(3) गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि **(Method of Conducting Speed & Efficiency Test) :-**

i. The language of Speed & Efficiency Test shall be **same as the language of Shorthand Test.**
ii. The font for Computer Test shall be "Kruti Dev 010" for Hindi and "Calibri" for English.
iii. Minimum Speed should be 8000 key depressions per hour on computer.
iv. Efficiency Test may be taken on word processing software. It shall include formatting of Test, Paragraph, Page & Table using proper methods and formatting of letters.

(4) मूल्यांकन की विधि **(Method of Evaluation):-**

(1) The mistakes shall be counted as full or partial mistakes, as the case may be:-
- (a) The following should be counted as full mistakes:-
  - (1) Omission of words or figure.
  - (2) Substitution of wrong word or figure.
  - (3) Misspelling.
  - (4) Two partial mistakes will be equal to one full mistake.
- (b) The following should be counted as partial mistakes:–
  - (1) Error or Omission in punctuation.
  - (2) Wrong use of capital or small letters.
  - (3) Wrong indentation of paragraph.

(2) **The margin of 5% mistakes may be allowed**. If the mistakes/omissions are more than 5% of the dictated passage, the excess number of mistakes over 5% shall be deducted from the total number of words dictated and the speed will be calculated.

(3) Assessment of speed and awarding of marks for **Shorthand Test**, following formula shall be adopted:-

$$\textbf{Speed} = \left\{ \frac{\text{Actual Correct Words Typed} + \text{Permissible 5\% mistakes or actual committed mistakes, (Whichever is less)}}{\text{Duration of dictation (6 Minutes)}} \right\}$$

$$\textbf{Marks} = \left\{ \frac{\text{Actual Correct Words Typed} \times \text{Max. Marks (100)}}{\text{Total Dictated Words}} \right\}$$

Actual Correct Words Typed = Total Dictated Words — Actual Committed Mistakes.

Notes: -

(i) Merit list of successful candidates for selection shall be prepared on the basis of Total Aggregate Marks obtained in Shorthand Test and Computer Test (Speed Test & Efficiency Test).

(ii) The successful candidates shall be eligible for appearing in the Interview, subject to the extent of total number of vacancies in order of merit.

(iii) The general suitability for service of the candidates securing equal total aggregate marks in Shorthand Test and Computer Test (Speed Test & Efficiency Test) shall firstly be determined on the basis of higher marks obtained in the Shorthand Test and in case, the candidates secure equal marks even in Shorthand Test, the merit shall be determined having regard to age i.e. the candidate, elder in age shall be given higher place in merit.

28.07.2023

15- ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया (Procedure for filling Online Application)–

ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा–निर्देश यथोचित समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें एवं वेबसाईट को नियमित समयान्तराल पर देखते रहें।

16- आवेदन करने की समय सीमा (Time Limit to Apply) :–

क्रमांक	विवरण	तिथि
1.	ऑनलाईन आवेदन करने की समय सीमा	01.08.2023 (मंगलवार) को दोपहर 01.00 से दिनांक 30.08.2023 (बुधवार) सायं 05.00 बजे तक।
2.	ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा	01.08.2023 (मंगलवार) को दोपहर 01.00 से दिनांक 31.08.2023 (गुरूवार) को रात्रि 11:59 बजे तक।

ऑनलाईन आवेदन (Online Application) करने व ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपरोक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करें। ई–मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) तथा नेट–बैंकिग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा की जा सकेगी।

17- आवेदन सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions to Apply):–

1. कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के अन्तर्गत आवेदन करने का पात्र है, वह उसी श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे। आवेदन पत्र में भरी गयी श्रेणी (**Category**) आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जायेगी।
2. आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
4. एक बार अन्तिम रूप से ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट की गयी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना–पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा।

18- परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक (**Place, Month and Date of Examination**) :–

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा आयोजित किये जाने के स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना पृथक से प्रसारित की जाएगी।

19- प्रवेश–पत्र (Admission Card) :–

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश–पत्र अधिकृत वेबसाईट पर Upload किये जाएंगे तथा डाक से कोई प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा की तिथि घोषित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र Upload किए जाने की सूचना अधिकृत वेबसाईट पर प्रसारित की जाएगी। आवेदक अपने (i) **User Name,** (ii) **Password** एवं (iii) **Captcha Code** के आधार पर अपना प्रवेश–पत्र वेबसाईट से **Download** कर सकेगा।

20- अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate):–

राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय अथवा सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

28.07.2023